

प्रकरण संख्या 03 / 19  
राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी  
पीठासीन अधिकारी—श्री रवि वर्मा

तारीख रजू 31 / 07 / 2019

—सायल(प्रार्थी)

श्री लाखन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाटव, उम्र 41 साल, निवासी लोको मस्जिद के पीछे,  
लोको कालोनी, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी  
—गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975


निर्णय

दिनांक—15.04.2024

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री लाखन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाटव, उम्र 41 साल, निवासी लोको मस्जिद के पीछे, लोको कालोनी, गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क.स.	मु0 नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	764 / 17	07.11.17	13 RPGO	364	10.07.17	सजा दिनांक 21.11.17 100 रू0 जुर्माना
2	812 / 17	26.11.17	13 RPGO	380	27.11.17	सजा दिनांक 29.11.17 100 रू0 जुर्माना
3	524 / 18	04.07.18	13 RPGO	262	24.07.18	सजा दिनांक 30.07.18 100 रू0 जुर्माना
4	562 / 18	16.07.18	13 RPGO	249	20.07.18	सजा दिनांक 10.08.18 100 रू0 जुर्माना
5	392 / 19	14.07.19	13 RPGO	249	20.07.18	—

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा गैरसायल को 4 बार राजस्थान सार्वजनिक धर्म अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है तथा 1 मुकदमा पेंडिंग पुलिस है। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार खुले आम सट्टे की खाईवाली



अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिये एवं शान्ति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान है। गैरसायल की आम सौहरत भी खराब है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।


अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असासलतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 5 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 4 मुकदमें में गैरसायल को 100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार खुले आम सट्टे की खाईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिये एवं शान्ति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान है। गैरसायल की आम सौहरत भी खराब है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण सन् 2019 से विचाराधीन है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। प्रार्थी मुलजिम के ऊपर अपनी पत्नी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। प्रार्थी मुलजिम लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी सन् 2019 से अनवीक्षा भुगत रहा है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 5 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 4 मुकदमों में गैरसायल को 100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित करने की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि:

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 5




अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

- अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 4 मुकदमों में 100 रू० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है। जो थाना क्षेत्र गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
  3. गैरसालय के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित आपराधिक कृत्य करने में संलिप्त है।

### लिहाजा

श्री रवि वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी गैरसायल लाखन सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाटव, उम्र 41 साल, निवासी लोको मस्जिद के पीछे, लोको कालोनी, गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करता हूँ एवं उसे एक माह की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को एक माह की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय करौली रहने हेतु थानाधिकारी कुडगांव को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं एक माह की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय- आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( रवि वर्मा )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी